न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

छोटूमल बनाम विक्रमसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र 251 RTA प्र.नं. 15/2023
05.02.2024	पत्रावली .वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	05/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या :– 15/2023
दायर दिनांक :– 28.02.2023

जीसीएमएस नं0:– 2023/1136,
निर्णय दिनांक :– 05.02.2024

उनवान प्रकरण

1. कजोड़मल पुत्र कालूराम उम्र 62 वर्ष
2. आंची देवी पुत्री कालूराम उम्र 40 वर्ष
3. खेमा देवी पुत्री कालूराम उम्र 68 वर्ष
4. जीवणराम पुत्र कालूराम उम्र 50 वर्ष
5. झिमकी देवी पुत्री कालूराम उम्र 70 वर्ष
6. पतासी देवी पत्नी कजोड़ उम्र 68 वर्ष
7. फूली देवी पुत्री कालूराम उम्र 67 वर्ष
8. बिदामी देवी पत्नी जीवणराम उम्र 48 वर्ष
9. मन्नी देवी पुत्री कालूराम उम्र 70 वर्ष
10. सजना देवी पुत्री कालूराम उम्र 42 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासी बुर्जा की ढाणी तन ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादी/अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. सुरजी देवी पत्नी नानगराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी बुर्जा की ढाणी तन ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. आची देवी पुत्री गोपीराम
4. झूमा देवी पुत्री गोपीराम
5. पूजा देवी पुत्री मोहनलाल
6. प्रेम देवी पुत्री गोपीराम
7. भगवानी देवी पुत्री गोपीराम
8. रामसिंह पुत्र गोपीराम
9. सचिन पुत्र मोहनलाल
10. संतोष देवी पत्नी मोहनलाल
11. हरफूल पुत्र मोहनलाल
12. हंसा देवी पुत्री गोपीराम

समस्त जाति जाट निवासी बुर्जा की ढाणी तन ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ़ जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

14. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादी / प्रार्थी

उपस्थित:—

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 आवेदककर्त्ता प्रा.पत्र पेशकर्त्ता आवेदन पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अप्रार्थी सं. 1 / प्रार्थी अभिभाषक।

श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय, एड0 प्रार्थीगण / अप्रार्थी अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण कजोड़मल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी बुर्जा की ढ़ाणी तन् ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय क समक्ष प्रस्तुत किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 632 रकबा 2.8200 हैक्टर तन् ग्राम आसपुरा भू.अ.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित होकर खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उसी अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 611 रकबा 0.5900 हैक्टर तन् राजस्व ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 3 व 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर अपने—अपने हिस्सानुसार [illegible] संख्या 13 के यहाँ रहन रखी हुई है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी [illegible] व [illegible] अर्सा कदीम से अपने—अपने हिस्सानुसार शामलाती रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आ रहे है तथा उक्त भूमियो मे काश्त, आवास–निवास आवागमन हेतु ग्राम आसपुरा मोड से अप्रार्थी संख्या 3 ता 12 की भूमि तक रास्ता खसरा नम्बर 567 के आसपास से किया जाता रहा है परन्तु प्रार्थीगण की भूमियों तक आवागमन हेतु रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण का आवागमन पूर्णतया बाधित कर दिया गया तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमियों के उपयोग उपभोग हेतु रास्ता खसरा नम्बर 567 से खसरा नम्बर 611 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 15 फुट रास्ता उत्तर दक्षिण एंव पूर्व से होते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थी को शामलाती भूमि खसरा नम्बर 632 तक आवागमन का सबसे निकटतम, लघुत्तम रास्ता लगता है जिसको संलग्न नजरी नक्शे में मार्ग ए. बी. सी से दर्शित करते हुए इसी अनुसार प्रस्ताव मंगवाया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाये जाने तथा उक्त रास्ता खसरा नम्बर 611 में लगने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर पर उक्त रास्ता में लगने वाली भूमि के समानान्तर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 632 में से सीमा लगती हुई भूमि अप्रार्थी संख्या 3 ता 12 को देने हेतु तैयार होने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन दर्ज किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 एंव अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6, 8 लगायत 12 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 उपस्थित आये एंव वकालतनामा पेश किये गये। वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का पेश किया गया। जिसका वकील अप्रार्थीगण ने जवाब दरख्वास्त पेश किया गया। इसके उपरान्त वकील प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाकर [illegible] बाबत आदेशिका पर अंकित किये जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 39 [illegible] 7 [illegible] को खारिज किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण [illegible] द्वारा एक प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) एंव धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कि[illegible]या। प्रकरण में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही जाने पर तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2778 / राजस्व / 2023 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्राथीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दिलाई जाने पर वकील प्रार्थीगण ने जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

प्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 1 विकम सिंह पुत्र सुमेर सिंह राजपूत निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर ने जरिये अधिवक्ता श्री विकम सिंह बांकावत एड0 ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त उनवानी प्रकरण हाजा में प्रार्थीगण ने नितांत विधि विरूद्ध तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानूनन पोषणीय नही होकर खारिज किए जाने योग्य हैं। उक्त प्रकरण हाजा में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका कोई विभाजन पक्षकारान के मध्य वैधानिक रूप से राजस्व रिकार्ड में नही हुआ है। प्रार्थीगण ने सहखातेदारान के विरूद्ध अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की मांग की है। कानूनन सहखातेदारान से अंतर्गत धारा 251 (ए) राज0 काश्त0 अधि0 के तहत रास्ता नही लिया जा सकता। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होकर प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य हैं। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर उक्त विधि विरूद्ध तरीके से पेश प्रार्थना पत्र को कानूनन पोषणीय नही होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारीज किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थी / अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी / प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही बहस में अवगत कराया कि प्रार्थी / अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 632 रकबा 2.[illegible] तन् ग्राम आसपुरा की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड होकर अर्सा कदीम से अपने–अपने हिस्सानुसार शामलाती रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त भूमियों में काश्त, आवास–निवास हेतु आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हेतु राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है तथा भूमि खसरा नम्बर 611 रकबा 0.6900 हैक्टर तन् ग्राम आसपुरा की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 3 व 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा बंटवारे का अन्य दूसरा वादपत्र पेश कर रखा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थी संख्या 1 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज किये जाने तथा प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति में मुख्य रूप से वादग्रस्त आराजी भूमियों के सम्बन्ध में वादग्रस्त आराजी भूमियों को संयुक्त खातेदारी की भूमि होना प्रकट होता है। जिसका आज तक कोई विधिक विभाजन पक्षकारान के मध्य वैधानिक रूप से राजस्व रिकार्ड में नही होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमियों में सहखातेदारान के विरूद्ध अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की मांग किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 में वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत कोई भी खातेदार काश्तकार कानूनन अपने सहखातेदारान से अंतर्गत धारा 251 (ए) राज0 काश्त0 अधि0 के तहत वैधानिक रूप से रास्ता प्राप्त नही कर सकता। यदि उसको अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमियों में सं[illegible] भूमियों में आवागमन के लिए रास्ता चाहिए तो उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत तकास्मा का वादपत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि [illegible] विधिक विभाजन करवाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हुए अपनी कृषि जोत में आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा का अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में वकील प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

::–आदेश–::

अतः वकील प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.20[illegible] को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)